



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Tel: 07752-260000, 260003, Fax: 07752-260154

क्रमांक: 1520/परीक्षा/सा./2011

बिलासपुर, दिनांक : 20/12/11

// संशोधित अधिसूचना //

अधिसूचना क्रमांक 1388/परीक्षा/सामा./2011, बिलासपुर, दिनांक 24.11.2011 के अनुसार कतिपय महाविद्यालयों द्वारा पूर्व वर्षों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार करने के संबंध में भ्रांति उत्पन्न होने के कारण छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

अतः इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित अधिसूचना के आशय को पुनः स्पष्ट किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है :-

स्नातकोत्तर अंतिम तथा स्नातक - बी.ए./बी.एससी./बी.काम. की द्वितीय या तृतीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण/भूपू/पूरक प्राप्त अथवा स्नातकोत्तर पूर्व तथा स्नातक - बी.ए./बी.एससी./बी.काम. की प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को वर्तमान प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार सत्र 2011-12 की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है। छात्र-छात्राएँ गेप सर्टिफिकेट अथवा निरंतरता संबंधी अभिलेख के साथ सत्र 2011-12 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

आदेशानुसार

Ranadiv

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक : 20/12/11

पृ0क्रमांक 1521/परीक्षा/सा./2011

प्रतिलिपि:-

1/ कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीय कुलपति/ कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।

2/ प्राचार्य,समस्त संबद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र,गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/ सचिव,उच्च शिक्षा संचालनालय,छत्तीसगढ़ शासन,रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

4/अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,क्षेत्रीय कार्यालय,शासकीय जे.पी.वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

5/ उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा/वित्त/भण्डार/अकादमी/गोपनीय 01, 02) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

7/ विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग की ओर उक्त अधिसूचना को वि0वि0 की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/ संपादकबिलासपुर की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे परीक्षार्थियों के सूचनार्थ अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में समाचार वृत्त के रूप में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।